न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 20/2013

1. मनोहर लाल 2. राजेन्द्र 3. रोशनी 4. चन्द्रकला	पुत्र/पुत्रियां सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीराम पुत्र दल्लुराम जाति बिश्नोई निवासी ढाणी नाहरांवाली तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. चूखी देवी पत्नी जीतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 57 एलएनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगरं
3. शंकर लाल पुत्र दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. शारदा उर्फ मांगीदेवी पत्नी इन्द्राज पुत्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर।
5. पृथ्वी राम पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
6. जगदीश चन्द्र पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णा देवी पत्नी सुभाष पुत्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

16/8/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

8. रामी पत्नी मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये वारिसान रेस्पों. सं. 4 ता 7
9. मनीराम पुत्र दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
10. अमीलाल पुत्री दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
11. इन्द्रा देवी बेवा सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
12. सही राम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

12/1 हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

12/2 ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

12/3 मैनाकौर पुत्री सहीराम पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मानेवाली तह. व जिला हनुमानगढ़।

13. रामीदेवी जोजा सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (मृतक)

13/1 हनुमान
13/2 ओमप्रकाश | पिसरान सहीराम जाति बिश्नोई नि. दुलमाना तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

13/3 मैना कौर पुत्री सहीराम पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मानेवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

16. लक्ष्मी पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाणी नजदीक स्यागांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

—–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
दिनांक 05.03.2013

उपस्थितिः–

श्री दिनेश छाबड़ा, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजाराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पो.
श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पो.
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 16.08.17**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88 का बुधरराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि का हवाला देते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 4 का देहान्त हो चुका है एवं मनफूल का भी देहान्त हो चुका है । प्रतिवादीगण ने साजिश धोखे से वादीगण के हकूकों को मारने की गरज से एक दावा गलत बयानी कर बिना वादीगण को पक्षकार बनाए सहायक

16/8/17

जिलाधीश श्रीगंगानगर न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें वादीगण की माता वादी सं. 11 पर अनुचित प्रभाव डालकर दबाव में दिनांक 23.04.1976 को विवादित भूमि के बाबत नुमाइशी तौर से राजीनामा पेश किया एवं दिनांक 21.07.1983 को डिक्री करवा लिया। जो वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है । एक दावा पूर्व में किया था जो दिनांक 20.06.1992 को नया दावा प्रस्तुत करने हेतु वापिस दिया गया है । इसलिए नया वाद पेश किया जा रहा है । अतः निवेदन है कि दावा स्वीकार कर वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क, ख के अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से दिनांक 12.12.1995 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 05.03.2013 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपीलमीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह साबित था कि दिनांक 21.07.1983 को धोखे में रखके डिक्री करवाई थी उस समय अपीलार्थीगण/वादीगण नाबालिग थे जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया था। अपीलार्थीगण की माता अकेली राजीनामा करने एवं बेचान करने में सक्षम नहीं थी न ही न्यायालय की अनुमति के बिना बेचान कर सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तीन लाईनों में अपना निष्कर्ष निकाल दिया । जबकि वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ

6/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय को था । इस संबंध में वकील अपीलांट ने 1978 आरआरडी पेज 11, एआईआर 2012 पटना पेज 47 के न्यायसिद्धान्त पेश किए और कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में वाद का निर्णय 21.07.1983 को हो चुका था जिसकी अपीलांट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई । वह आदेश अंतिम हो चुका है । अपीलार्थीगण की माता ने राजीनामा पेश किया था यदि राजीनामा धोखे से करवाया गया था तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज करने में कोई भूल नहीं की । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का मूल आधार परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दावा वादपत्र पोषणीय नहीं होने के कारण दावा खारिज किया गया है । दावे के Text का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि मूल दावा वाद सं. 25/76 निर्णय दिनांक 21.07.1983 को निरस्त करने हेतु यह आधार लिया कि पूर्व का वाद में Decree obtained through fraud. अतः न्यायसिद्धान्त आरआरडी 1978 पेज 11 में प्रतिपादी सिद्धान्त अनुसार मूल दावे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया, के सन्दर्भ में विधि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय का

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5/3/2013

निर्णय दिनांक good decision की definition में नहीं। अतः निरस्त किया जाता है । विधिक प्रक्रिया अनुसार अपीलांट के लिए मूल वाद सं. 25/76 निर्णय दिनांक 21.07.1983 की अपील से ही merits का विवेचन होकर proper remedy संभव है। अतः अपीलांट के पास उपलब्ध legal remedy का option यथानिर्णय दिनांक 21.07.1983 की अपील होकर यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. मनोहर लाल
2. राजेन्द्र
3. रोशनी
4. चन्द्रकला

पुत्र/पुत्रियां सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिडावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

--अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीराम पुत्र दल्लुराम जाति बिश्नोई निवासी ढाणी नाहरांवाली तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. चूखी देवी पत्नी जीतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 57 एलएनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगरं
3. शंकरलाल पुत्र दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. शारदा उर्फ मांगीदेवी पत्नी इन्द्राज पुत्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर।
5. पृथ्वीराम पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
6. जगदीश चन्द्र पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णा देवी पत्नी सुभाष पुत्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
8. रामी पत्नी मनफूल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये वारिसान रेस्पों. सं. 4 ता 7
9. मनीराम पुत्र दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
10. अमीलाल पुत्री दल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

11. इन्द्रा देवी बेवा सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

12. सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (मृतक):–

12/1 हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

12/2 ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

12/3 मैनाकौर पुत्री सहीराम पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मानेवाली तह. व जिला हनुमानगढ़।

13. रामीदेवी जोजा सहीराम जाति बिश्नोई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (मृतक)

13/1 हनुमान | पिसरान सहीराम जाति बिश्नोई नि. दुलमाना
13/2 ओमप्रकाश | तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

13/3 मैना कौर पुत्री सहीराम पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मानेवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

16. लक्ष्मी पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाणी नजदीक स्यागांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 20/2013 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) मुकाम श्रीगंगानगर मुर्ख्ख 05 माह 03 सन् 2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 16 माह 08 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री दिनेश छाबड़ा, अभिभाषक अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री राजाराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पो., श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. एवं श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X ...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.08.2017 जारी किया गया।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर